सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No: NCST/SER-1275/MPOW/6/2024-SSW-RU-IV　　　　Dated:- 30.04.2025

To,

The Chairman & Managing Director,
Rural Electrification Corporation Ltd.,
Plot No. 1-4, Sector – 29,
Gurugram (Haryana) – 122001
E.mail: cmd@recl.in

Sub:- Representation of Shri Mahesh Kumar Meena, District Dausa (Rajasthan) regarding harassment of ST employee by the Management of REC Ltd., Gurugram.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 17.04.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for information.

Encl: as above

Yours faithfully

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:-

Shri Mahesh Kumar Meena,
Dhyawana Ki Dhani Baswa,
Village & Post – Baswa,
District – Dausa – 303327
Rajasthan
E.mail: maheshbaswa01@gmail.com
Mob: 9772033690

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या-NCST/SER-1275/MPOW/6/2024-SSW

श्री महेश कुमार मीना, जिला-दौसा, राजस्थान (Mob No. -9772033690) के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	**अनुलग्नक-I** के अनुसार।

श्री महेश कुमार मीना, जिला-दौसा ने अपनी याचिका दिनांक 15.02.2024 के माध्यम से आरोप लगाया है कि उन्होंने 13.04.2022 को आरईसी में कार्यभार ग्रहण किया तथा एक महीने की सेवा के पश्चात आरईसी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसटी उम्मीदवार होने के कारण उन्हें आरईसी द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है । इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.03.2024 तथा 11.03.2024 को भेजे गए ईमेल के माध्यम से मामले में सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में, आयोग ने दिनांक 16.02.2023 के नोटिस के माध्यम से श्री महेश मीना की याचिका दिनांक 25.10.2022 को सी.एम.डी, आर.ई.सी, गुरुग्राम को संदर्भित किया गया। आर.ई.सी ने दिनांक 14.03.2023 के पत्र के माध्यम से श्री महेश मीना के दिनांक 10.02.2023 के पत्र को अग्रेषित किया है, जिसमें यह बताया गया है कि आयोग को दी गई याचिका उनके द्वारा वापस ली जा रही है। वे अगस्त, 2023 में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण में शामिल होंगे।

3. तत्पश्चात आयोग ने दिनांक 27.03.2023 के पत्र के माध्यम से आर.ई.सी के पत्र को श्री महेश कुमार मीना को सूचनार्थ अग्रेषित किया है। तदनुसार, मामले को सफल मामलों की सूची में डाल दिया गया तथा मामला बंद कर दिया गया

4. श्री महेश मीना ने दिनांक 15.02.2024 के पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि आर.ई.सी ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। नवंबर, 2023 में उन्हें उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार आर.ई.सी में कोई एस.टी कर्मचारी नहीं है। उन्होंने आर.ई.सी में पुनः नियुक्ति तथा बकाया वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया।

5. उपरोक्त प्रकरण को NCST के पत्र दिनांक 20.3.2024 द्वारा Chairman-Cum-Managing Director, Rural Electrification Corporation Ltd को 30 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु भेजा गया था।

6. आरईसी लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 09.04.2024 द्वारा आयोग को सूचित किया कि "श्री महेश मीना ने REC लिमिटेड में Apprenticeship training के लिए आवेदन किया था और चयनित होने पर, उन्होंने 13.04.2022 को REC के Corporate Office में रिपोर्ट किया। हालांकि, उनकी contract ऑनलाइन NAPS पोर्टल के माध्यम से जनरेट नहीं हो सकी क्योंकि उनके पास eKYC सत्यापन के लिए आवश्यक वैध Aadhar Number नहीं था। इसके अतिरिक्त, REC लिमिटेड ने अब Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के NAPS पोर्टल और Ministry of Education के NATS पोर्टल में एक "Establishment" के रूप में पंजीकरण कर लिया है, जिसके माध्यम से FY 2024-25 के लिए संगठन में apprentices को शामिल किया जाएगा। REC लिमिटेड में Apprenticeship training की प्रक्रिया शीघ्र ही उपरोक्त पोर्टल्स के माध्यम से शुरू होगी।अतः, यह माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचित किया जाता है कि श्री महेश को NATS और NAPS में से किसी भी पोर्टल के माध्यम से अपने Aadhar Number के साथ आवेदन करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है ताकि REC लिमिटेड में Apprenticeship training प्राप्त की जा सके"।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

7. इस मामले में दिनांक 12.09.2024 को भी सुनवाई मे की गई थी ।

8. दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान Chairman-Cum-Managing Director, Rural Electrification Corporation Ltd व् प्रार्थी उपस्थित रहे ।

9. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

1. CMD, Rural Electrification Corporation Ltd व् प्रार्थी ने आयोग के समक्ष अपने पक्ष रखे व् आयोग द्वारा अब इस मामले में और कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है अत इस मामले को आयोग में बंद किया जाता है ।
2. आयोग जल्द ही अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण व् सुरक्षण हेतु Rural Electrification Corporation Ltd का रिव्यु करेगा ताकि यह तथ्य सामने आ सके की Rural Electrification Corporation Ltd में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिनिधित्व है

आशा लकड़ा
22/04/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/SER-1275/MPOW/6/2024-SSW)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 11:20 A.M. in the case of Shri Mahesh Kumar Meena, Dhyawana ki Dhani Baswa, Village & Post – Baswa, Dist.-Dausa, Rajasthan regarding harassment of ST employee by the Management of REC Ltd., Gurugram.

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**Rural Electrification Corporation Ltd., Gurugram (Haryana).**		
1.	Parminder Chopra Addl. charge – CMD	23456942.	[signature]
2.	A.K. Tyagi ED	9873199263	[signature]
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioner**		
1.	Mahesh Kr. Meena	9772033690	[signature]
2.			